बाड़मेर

आदेश

21.06.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत बमुकाम अटल सेवा केन्द्र बोला पर पेश हुई। अपीलार्थीगण एवं उत्तरदातागण अनुपस्थित। अपीलार्थीगण ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि ग्राम बीबड़ा में स्थित खसरा नम्बर 90/71 रकबा 42.00 बीघा भूमि खातेदार अली, जुमा, फरीद, इस्माईल पिसरान राणा के नाम दर्ज था। उक्त भूमि में प्रत्येक खातेदार का 1/4 हिस्सा बनता था। खातेदार जुमा द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा खातेदार अली जो उसका सगा भाई व सहखातेदार है, को बेचान कर दिया। उक्त बेचान पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 100 दिनांक 15.07.2007 को खोला जाकर उक्त खसरे में अली का 1/2, फरीद व इस्माईल का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जो सही था, लेकिन बाद में इस्माईल के फौत होने पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 118 दिनांक 15.11.2010 में ईस्माईल के वारिसों के अंकन के साथ–साथ भूल से जुमा पुत्र राणा का नाम अंकित कर दिया। अपीलार्थीगण ने जुमा पुत्र राणा का नाम राजस्व अभिलेख से हटाने एवं खातेदार अली पुत्र राणा का 1/2 हिस्सा, फरीद पुत्र राणा का 1/4 हिस्सा, ईस्माईल पुत्र राणा के वारिसान मुस्ताक, ईकबाल, ईकरामदीन, ईस्लाम पिसरान ईस्माईल नसीबो पत्नी ईस्माईल का 1/4 हिस्सा खातेदारी में अंकित कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किये जाने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रकरण पंजीयन कर उत्तरदातागण को सुनवाई हेतु

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तरीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व अपील संख्या 16/2017 अनवान अनवर बनाम ग्राम पंचायत बोला व अन्य
	सम्मन जारी किये गये। उत्तरदातागण की ओर से उनके अधिवक्ता ने पैरवी की। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान–2018 हेतु आयोजित शिविर में इस प्रकरण में मजमे आम में सुनवाई की गई तथा तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि ग्राम बीबड़ा में स्थित खसरा नम्बर 90/71 रकबा 42.00 बीघा भूमि खातेदारान् अली, जुमा, फरीद, ईस्माईल पिसरान राणा के नाम दर्ज थी। सभी आपस में सगे भाई होने से प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि में था। खातेदार जुमा द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपसे सगे भाई अली के पक्ष में बेचान कर दिया और उक्त बेचान पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 100 दिनांक 15.07.2007 को पारित किया। खातेदार ईस्माईल की फौतगी पर पारित अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 118 दिनांक 15.11.2010 में ईस्माईल के वारिसों के नाम के साथ भूल से जुमा पुत्र राणा का नाम वादग्रस्त खसरा नम्बर 90/71 में अंकित कर दिया। तहसीलदार बाडमेर ने उक्त खसरा में जुमा का नाम हटा कर शेष खतोदार अली पुत्र राणा का 1/2 हिस्सा, फरीद पुत्र राणा का 1/4 हिस्सा, ईस्माईल पुत्र राणा के वारिसान मुस्ताक, ईकबाल, ईकरामदीन, ईस्लाम पिसरान ईस्माईल नसीबो पत्नी ईस्माईल का 1/4 हिस्सा खातेदारी में अंकन कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किये जाने की अनुशंसा की है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 118 दिनांक 15.11.2010 पर पारित आदेश को निरस्त किया जाकर ग्राम बीबड़ा में स्थित खसरा नम्बर 90/71 रकबा 42.00 बीघा भूमि में खातेदार जुमा पुत्र राणा का नाम हटाते हुए खातेदार अली पुत्र राणा का 1/2 हिस्सा, फरीद पुत्र राणा का 1/4 हिस्सा, ईस्माईल पुत्र राणा के वारिसान मुस्ताक, ईकबाल, ईकरामदीन, ईस्लाम पिसरान ईस्माईल नसीबो पत्नी ईस्माईल का 1/4 हिस्सा खातेदारी में अंकन कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदानुसार समस्त राजस्व अभिलेख में

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील संख्या 16/2017 अनवान अनवर बनाम ग्राम पंचायत बोला व अन्य	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
अमल दरामद करावे। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर	

Scanned by CamScanner